संख्या-1/3393/71-2-14-के0जी0एम0यू0-71/2011 टी0सी0-2

प्रेषक

ऋषिकेश दुबे
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2014**

विषयः- चिकित्सा विश्वविद्यालय के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि का आहरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10203/योजना एवं क्रय/2014 दिनांक 02-08-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-874/71-2-14-के0जी0एम0यू0-71/2011 टी0सी0-।। दिनांक 31-3-2014 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-844800110000000 में विश्वविद्यालय हेतु रक्षित धनराशि रू0 48,00,00,000/- (रूपया अड़तालीस करोड मात्र) को आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

1. उक्त आहरित धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो के लिए किया जायेगा जिन कार्यो के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। अन्य मदों में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा उपकरणों के क्रय के संबंध में समस्त वित्तीय नियमों के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा सम्पूर्ण भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालान के द्वारा राजकोष में जमा कराकर, सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
4. धनराशि का उपयोग जिन कार्यो के लिए किया जाना है उसका गुण दोष एवं वास्तविक आवश्कता /उपयोगिता का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा तथा विशिष्टियॉ, मानक तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. शासनादेश संख्या-1907/71-2-2013-सी0एम0यू0-71/2011 टी0सी0 दिनांक 19-7-2013 एवं शासनादेश संख्या-1907ए/71-2-2013-सी0एम0यू0-71/2011 टी0सी0 दिनांक 03-10-2013 में उल्लिखित समस्त शर्तो का यथावत अनुपालन किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3/2188/दस-2014, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

<u>संख्या-1/3393/71-2-2014 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन को चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शन करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in